[2020] 6 एस. सी. आर 521

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वी.

एम/एस। बम्बई मशीनरी स्टोर

(2011 की सिविल अपील संख्या 2217)

27 अप्रैल, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-एस के लिए पहला स्पष्टीकरण। 3 ; एस. 6-अंतर-राज्यीय बिक्री-छूट का लाभ एस. 6 (2)-संचरण के लिए वाहक को वितरित माल-यदि इसके लिए एक समय सीमा लागू की जा सकती है।

उनसे ली जाने वाली वस्तुओं की डिलीवरी-अन्य बातों के साथ-साथ परिवहनकर्ताओं के गोदाम में 30 दिनों (बाद के परिपत्र के अनुसार) से अधिक समय तक माल के प्रतिधारण को कट-ऑफ अवधि माना गया-उस तारीख के बाद, निर्धारिती को राज्य के भीतर उस अवधि के बाद माल और बिक्री की रचनात्मक डिलीवरी लेने वाला माना गया और उसे स्थानीय बिक्री माना गया और राज्य अधिनियम के तहत बिक्री कर के अधीन माना गया-अपीलों के पहले सेट (2011 का सी. ए. No.2217 और 2011 का सी. ए. No.2220) में, उच्च न्यायालय ने दो परिपत्रों को रद्द कर दिया-अपीलों के एक अन्य सेट में भी (2011 का सी. ए. No.10000 और 2011 का सी. ए. No.10001) उपरोक्त निर्णय के बाद। एस के पहले स्पष्टीकरण में एक कानूनी कथा बनाई जाती है। 3 - वह कल्पना यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही समाप्त हो जाएगी, जहां माल को एक वाहक को वितरित किया गया था।

संचरण, उस समय जब ऐसे वाहक से सुपुर्दगी ली जाती है, रचनात्मक सुपुर्दगी की कोई अवधारणा उक्त प्रावधान में व्यक्त या निहित नहीं है-माल की आवाजाही, एस के उद्देश्यों के लिए। 3 (ख) उस धारा के पहले स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए केवल तब समाप्त होगा जब डिलीवरी ली जाती है-यह किसी भी समय सीमा के साथ 'डिलीवरी' शब्द को योग्य नहीं बनाता है जिसके भीतर ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए-इस प्रकार, समय सीमा का निर्धारण अस्वीकार्य है-उच्च न्यायालय ने 2011 के सी. ए. No.2217 में आक्षेपित निर्णय में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि कानूनों पर कर लगाने में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है-चार अपीलों में उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है-राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954-माल की बिक्री अधिनियम, 1930 - धारा 51-क़ानूनों की व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 अपीलों के इस समूह में जहां प्रतिवादी है

बॉम्बे मशीनरी स्टोर, स्वामित्व के दस्तावेजों का हस्तांतरण गंतव्य राज्य के भीतर स्थान पर पहुंचने वाले माल के बाद किया गया था। लेकिन जब माल को संचरण के लिए किसी वाहक को वितरित किया जाता है, तो 1956 के अधिनियम की धारा 3 का पहला स्पष्टीकरण निर्दिष्ट करता है कि माल की आवाजाही उस समय शुरू मानी जाएगी जब माल को वाहक को वितरित किया जाता है और उस समय समाप्त हो जाएगी जब डिलीवरी ली जाती है। उक्त प्रावधान किसी भी समय सीमा के साथ 'डिलीवरी' शब्द के योग्य नहीं है जिसके भीतर ऐसी डिलीवरी करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के कर प्रशासन के आदेश से समय सीमा तय करना अस्वीकार्य होगा। [पैरा

12] [535 एफ-जी]

1.2 माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 51 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट किया गया है कि माल कब निर्दिष्ट किया जाएगा। पारगमन की प्रक्रिया और उसके उपखंड (3) में पारगमन की समाप्ति के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह शर्त वाहक द्वारा खरीदार या उसके एजेंट के लिए एक पावती है कि वह अपनी ओर से माल रखता है। सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है

इन अपीलों में स्वतंत्र ट्रांसपोर्टर द्वारा ऐसी स्वीकृति दी गई थी। अर्जन दास गुप्ता के मामले में रचनात्मक वितरण के समान सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। हालाँकि, इस तरह का निर्माण 1956 के अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए उचित नहीं होगा। उस खंड के पहले स्पष्टीकरण में एक कानूनी कल्पना बनाई जाती है। वह कल्पना यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही समाप्त हो जाएगी, जहां माल को संचरण के लिए वाहक को वितरित किया गया है, उस समय जब ऐसे वाहक से डिलीवरी ली जाती है। उक्त में व्यक्त या निहित रचनात्मक वितरण की कोई अवधारणा नहीं है।

प्रावधान। कानून के एक सादे पाठ पर, 1956 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए माल की आवाजाही केवल तभी समाप्त होगी जब डिलीवरी ली जाती है,

उस खंड का पहला स्पष्टीकरण। उक्त खंड के भीतर "वितरण" अभिव्यक्ति की प्रकृति और दायरे को योग्य बनाने के लिए किसी और शब्द को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। विधायिका उक्त शब्द को विस्तृत अर्थ देने से बच गई है। उच्च न्यायालय उस निर्णय के अधीन है जो वाणिज्यिक कर कार्यालय v के सिविल अपील No.2217 में आक्षेपित है।

एम/एस। बम्बई मशीनरी स्टोर

2011 उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि कानूनों पर कर लगाने में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। डिवीजन बेंच की व्याख्या

अर्जन दास गुप्ता के मामले में दिया गया दिल्ली उच्च न्यायालय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। कर प्रशासन

अधिकारी विधायी को अपनी व्याख्या नहीं दे सकते हैं। व्यापार व्यवहार के बारे में उनकी अपनी धारणा के आधार पर प्रावधान। [पारस 14,15] [536-जी-एच; 537-ए-एफ]

अर्जन दास गुप्ता और ब्रदर्स बनाम। के आयुक्त

बिक्री कर, दिल्ली प्रशासन (1980) 45 एसटीसी 52 (दिल्ली)-स्वीकृत नहीं।

सीटीओ वी. भगवानदास एंड संस (1996 टैक्स वर्ल्ड 107); गुलजाग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य और

एक अन्य (2003) 129 एस. टी. सी. 3 (राज.)-संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2217

2011 से।

एस. बी. बिक्री कर संशोधन याचिका में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2007 से 2005 का सं. 186।

के साथ

सी. ए. सं. 2220/2011,10000/2017 और 10001/2017 मिलिंद कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

यू. ए. राणा, हिमांशु मेहता और पी. वी. योगेश्वरन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

1. इन सभी चार अपीलों पर इस निर्णय द्वारा विचार किया जा रहा है क्योंकि इन सभी में कानून के एक सामान्य प्रश्न पर निर्णय शामिल है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 अधिनियम) की धारा 3 और 6, जो उस समय प्रभावी थी। सवाल यह है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 6 (2) का लाभ देने की शर्त के रूप में, कर अधिकारी एक सीमा या समय सीमा लागू कर सकते हैं जिसके भीतर संबंधित माल की डिलीवरी एक वाहक से ली जानी चाहिए जब माल अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान संचरण के लिए एक वाहक को दिया जाता है। इन अपीलों में शामिल विवाद के उचित मूल्यांकन के लिए, उपरोक्त

प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 3. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री या खरीद कब होती है। बिक्री या

माल की खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद (क) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का अवसर;

या

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।

स्पष्टीकरण 1-जहाँ माल किसी वाहक या अन्य को दिया जाता है।

पारेषण के लिए खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए माल की आवाजाही ऐसी डिलीवरी के समय शुरू होती है और उस समय समाप्त होती है जब ऐसे वाहक या बेली से डिलीवरी ली जाती है।

स्पष्टीकरण 2-जहां माल की आवाजाही एक ही राज्य में शुरू होती है और समाप्त होती है, वहां इसे केवल इस तथ्य के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही नहीं माना जाएगा कि ऐसी आवाजाही के दौरान माल गुजर जाता है। किसी अन्य राज्य के क्षेत्र के माध्यम से।

स्पष्टीकरण 3-जहां एक सामान्य वाहक पाइपलाइन या किसी अन्य सामान्य परिवहन या वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची गई या खरीदी गई और परिवहन की गई गैस पाइपलाइन या प्रणाली में अन्य गैस के साथ सह-मिश्रित और कवक बन जाती है और ऐसी गैस को पाइपलाइन या प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।

एक राज्य में पाइपलाइन या प्रणाली और दूसरे राज्य में पाइपलाइन से बाहर निकाला जाता है, गैस की ऐसी बिक्री या खरीद को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही माना जाएगा।

6. अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की देयता। - [(1)] इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक विक्रेता, ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, नियुक्त, ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीस दिन से पहले नहीं होने पर, इस अधिनियम के तहत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान उसके द्वारा की गई सभी बिक्री (विद्युत ऊर्जा के अलावा अन्य वस्तुओं की) पर इस तरह से अधिसूचित तिथि से किसी भी वर्ष के दौरान कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाः

[बशर्ते कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के तहत माल की किसी भी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो धारा 5 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्यात के दौरान एक बिक्री है। वे माल भारत के क्षेत्र से बाहर।] वाणिज्यिक कर अधिकारी v.

[(1क) एक व्यापारी इस अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उसके द्वारा प्रभावित किसी भी माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इसके बावजूद कि उपयुक्त राज्य की बिक्री कर कानून के तहत कोई कर (चाहे विक्रेता या खरीदार पर) देय नहीं होता यदि वह बिक्री उस राज्य के भीतर हुई होती।

[(2) उप-धारा (1) या उप-धारा (1ए) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी माल की बिक्री से या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसी वस्तुओं की आवाजाही हुई है या एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी आवाजाही के दौरान ऐसी वस्तुओं को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित हुई है, ऐसी आवाजाही के दौरान कोई भी बाद की बिक्री ऐसी वस्तुओं को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है, -

(ख) सरकार के अलावा किसी अन्य पंजीकृत विक्रेता को, यदि माल धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण का है, तो इस अधिनियम के तहत कर से छूट दी जाएगीः बशर्ते कि ऐसी किसी भी बाद की बिक्री को इस उप-धारा के तहत कर से छूट नहीं दी जाएगी, जब तक कि बिक्री करने वाला विक्रेता निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है, जो वह प्राधिकारी पर्याप्त कारण से अनुमति दे -

(क) उस पंजीकृत विक्रेता द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित विवरण हों; और

(ख) यदि बाद की बिक्री की जाती है - (i) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक पंजीकृत विक्रेता के लिए एक घोषणा

धारा 8 की उप-धारा (4), या

((ख) सरकार को, जो पंजीकृत विक्रेता नहीं है, धारा 8 की धारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्रः

बशर्ते कि माल की बाद की बिक्री के संबंध में पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट घोषणा या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा यदि, [2020] 6 एस. सी. आर.

(क) ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद, उपयुक्त राज्य की बिक्री कर कानून के तहत आम तौर पर कर से मुक्त है या आम तौर पर चार प्रतिशत से कम दर पर कर के अधीन है। (चाहे उसे कर या शुल्क कहा जाए या किसी अन्य नाम से) और

पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि कि ऐसी बिक्री इस उप-धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की है। [(3) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि

(क)-का कोई अधिकारी या कर्मी। ((i) भारत में कोई विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास; या

((ii) संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य समान अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जिसका हकदार है।

किसी भी संधि के तहत विशेषाधिकारों के लिए जिसमें भारत एक पक्ष है या

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन; या

(ख) किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र या खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अन्य निकाय का कोई वाणिज्य दूत या राजनयिक प्रतिनिधि, अपने लिए या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के उद्देश्यों के लिए कोई सामान खरीदता है, तो -

केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन, इस के तहत ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर देय कर से छूट दे सकती है।

अधिनियम "।

(4) उप-धारा (3) के प्रावधान अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई वस्तुओं की बिक्री पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी वस्तुओं को बेचने वाला विक्रेता निर्धारित प्राधिकारी को विधिवत भरे गए और अधिकारी, कार्मिक, वाणिज्य दूत या राजनयिक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित तरीके से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

एजेंट, जैसा भी मामला हो "।

2. हम इन अपीलों में शामिल कानूनी मुद्दे को संबोधित करने से पहले सिविल अपील के तथ्यात्मक संदर्भ का वर्णन करेंगे।

o प्रमुख मामला हो। अन्य तीन अपीलों से संबंधित विवाद समान है, लेकिन इन सभी में कानून का प्रश्न समान होने के कारण, हम उन घटनाओं के अनुक्रम का विस्तार से वर्णन करने से बचेंगे जो उक्त अपील दायर करते हैं, सिवाय इसके कि इस तरह का वर्णन इन अपीलों के दायरे को समझने के लिए आवश्यक है। 2011 की सिविल अपील 217 में, मूल्यांकन की अवधि 1995-96 है।

प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी v. एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे.]

निर्धारिती बॉम्बे मशीनरी स्टोर ने बिजली की मोटरें खरीदी थीं।

और राज्य से बाहर उक्त वित्तीय वर्ष में इसके भागों को राजस्थान राज्य के कोटा क्षेत्र के भीतर खरीदारों को बेच दिया। ऐसी बिक्री के लिए, उन्होंने 1956 के अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत छूट का लाभ प्राप्त किया। ये माल परिवहन कंपनी के पास रह गए थे। एक महीने से अधिक समय से कोटा में आगमन। राजस्व का मामला यह है कि इन वस्तुओं को राजस्थान में आयात करने के बाद, अलग-अलग ऑर्डर प्राप्त करने पर बिल्टी (परिवहन रसीद) के माध्यम से बिक्री की जाती थी। ऐसी बिक्री, यह है

राजस्व का मामला, राज्य के भीतर बिक्री का गठन करता है और इसलिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के तहत 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कर योग्य है। 2011 की सिविल अपील No.2220 उसी फर्म से संबंधित है लेकिन मूल्यांकन वर्ष 1994-95 के लिए। इसी प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 1994-95 के लिए बिक्री की मात्रा रु. 3,15,639/- थी और 1995-96 के लिए यह रु. 2,60,93/- थी। 1956 के अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत लाभ के दावे को खारिज कर दिया गया था और वाणिज्यिक कर अधिकारी, एंटी-इवेजन सर्कल-I, कोटा द्वारा 11 दिसंबर, 1997 के दो आदेशों द्वारा एक सर्वेक्षण के बाद राज्य अधिनियम के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ कर लगाया गया था। बॉम्बे मशीनरी की अपीलें

उपायुक्त (अपील) द्वारा दुकानों को अनुमति दी गई थी,

सीटीओ बनाम भगवानदास एंड संस (1996 टैक्स वर्ल्ड 107) के मामले में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा 8 मार्च, 1996 को दिए गए निर्णय के बाद वाणिज्यिक कर, कोटा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश 1956 के अधिनियम की धारा 3 बी (1) के प्रथम स्पष्टीकरण की व्याख्या पर पारित किए गए थे। राज्य अधिनियम के तहत कर, ब्याज और जुर्माना लगाने को रद्द कर दिया गया था। कर बोर्ड के समक्ष राज्य कर प्राधिकरण की अपील में, S.No.1132A वाले आयुक्त द्वारा जारी किए गए दो परिपत्रों पर निर्भरता रखी गई थीः सी. सी. टी. परिपत्र एफ. 11 (3) सी. एस. टी./कर/सी. सी. टी./1/61 दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को 19 जुलाई, 1999 के एक और परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया। बोर्ड ने इन दो परिपत्रों पर विचार नहीं किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। बोर्ड ने एक समग्र क्रम में उपायुक्त (अपील) के विचार को कायम रखा। इस आदेश को राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई थी, क्योंकि बोर्ड द्वारा अपने दिनांक 24.11.2004 के आदेश द्वारा दो अपीलों का निपटारा किया गया था। उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर, 2007 को दिए गए फैसले में बोर्ड के आदेश की पुष्टि की और 16 सितंबर, 1997 के S.No.115B और 15 अप्रैल, 1998 के S.No.1132A वाले दो परिपत्रों को रद्द कर दिया। इन परिपत्रों में वाहक के गोदाम में माल के प्रतिधारण पर एक समय सीमा लगाने की मांग की गई थी, जिसके बाद राजस्व को शामिल माल की रचनात्मक डिलीवरी प्राप्त करने के लिए माना जाता था। यह फैसला हमारे समक्ष अपील के अधीन है। इससे पहले कि हम इस [2020] 6 एस. सी. आर. से निपटें।

निर्णय में, हम संक्षेप में अन्य अपीलों का उल्लेख करेंगे जिनकी एक साथ सुनवाई की गई है।

3. 2011 की सिविल अपील No.2220 में, बिक्री की घटनाएं निम्नलिखित से संबंधित हैं -

24 मार्च, 1994 और 30 जनवरी, 1995 के बीच अलग-अलग तिथियाँ।

4. 2017 की सिविल अपील No.10000 और 2017 की सिविल अपील संख्या 10001

2017 एक अन्य निर्धारिती, यूनिकलर केमिकल्स कंपनी से संबंधित है। उस फर्म ने गुजरात की एक कंपनी से रसायन और रंग खरीदे और माल 12 मई, 2000 को वाहक परिवहन कंपनी के गोदाम में पहुंच गया। उन्हें आगमन की तारीख से 55 दिन और 80 दिनों के बाद दो किश्तों में जयपुर में एक फर्म को बेच दिया गया था। इन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य रु. 1,27,592 था। 2017 की सिविल अपील संख्या 10001 में, राजस्व का मामला यह है कि उसी फर्म के व्यावसायिक स्थान के सर्वेक्षण से पता चला है कि:

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 (2) और कर चोरी की संभावना के सर्वेक्षण में पाया गया रिकॉर्ड

व्यावसायिक फर्म को जब्त कर लिया गया है।

(आदेश से उद्धृत

कागजी पुस्तक के साथ

संलग्न)

ये सामान ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम तक पहुंच गए थे।

25 जुलाई, 2001 को। इन्हें बिल्टी के खिलाफ लाया गया था और दस्तावेजों को 4 सितंबर, 2001 को उसी फर्म को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार 41 दिनों की देरी हुई। कर निर्धारण अधिकारियों ने लेन-देन को स्थानीय बिक्री मानते हुए राज्य अधिनियम को लागू करने का निर्देश दिया। यह आदेश उपायुक्त (अपील) द्वारा कायम रखा गया था और कर बोर्ड का आदेश भी यूनिकलर के खिलाफ गया था। उच्च न्यायालय ने बॉम्बे मशीनरी स्टोर (जिसे हम इस फैसले में प्रमुख मामले के रूप में देख रहे हैं) के मामले में फैसले के बाद दोनों अपीलों में वैधानिक अधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया और दोनों को अमान्य कर दिया।

सर्कुलर।

5. आयुक्त, वाणिज्यिक द्वारा जारी किए गए दो परिपत्र

कर विभाग, राजस्थान को बॉम्बे मशीनरी स्टोर के मामले में विवादित फैसले में उद्धृत किया गया है। अब से, जहाँ भी हम अपील के तहत अभिव्यक्ति निर्णय का उल्लेख करते हैं, हम केवल उस निर्णय का संकेत देंगे, जब तक कि हम विशेष रूप से अपील के तहत तीन अन्य निर्णयों में से किसी का उल्लेख नहीं करते हैं। इन परिपत्रों में लिखा है:

वाणिज्यिक कर अधिकारी v. एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे।]

" एस. नं. 1115 बीः सी. सी. टी. परिपत्र एफ. 11 (3)/सी. एस. टी./कर/सी. सी. टी./1997/1563 दिनांक 16.9.1997

जैसा कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की एकल आवाजाही में स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा बेचे गए माल के कई करों से बचने के लिए, इस तरह के लेनदेन की छूट के प्रावधान धारा 6 (2), सी. एस. टी. अधिनियम, 1956 में सन्निहित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान को लागू किया गया है। ऐसे माल की एकल अंतर-राज्य आवाजाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को देखे बिना ई-आई/ई-II और सी फॉर्म प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा कमोबेश यांत्रिक रूप से ऐसे विक्रेताओं को लाभ प्रदान किए जाते हैं। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है, तो बाद की बिक्री को राज्य के भीतर बिक्री के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में धारा 6 की उपरोक्त उप-धारा (2) का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। यह पाया गया है कि व्यापार अक्सर इसके तहत बड़ी छूट का दावा कर रहा है।

प्रावधान, विशेष रूप से कागज, रंग और रसायन आदि के संबंध में। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मूल्यांकन अधिकारियों को मंजूरी देने से पहले लेन-देन की प्रकृति की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए।

उक्त धारा के तहत लाभ।

यह तर्क दिया जा सकता है कि सी. एस. टी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के स्पष्टीकरण I को ध्यान में रखते हुए, माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही तब तक जारी रहती है जब तक कि माल प्राप्तकर्ता गंतव्य पर इन वस्तुओं के आगमन के बाद वाहक से माल की भौतिक डिलीवरी प्राप्त नहीं कर लेता है। यह तर्क इस गलत धारणा पर आधारित है कि स्पष्टीकरण में "वितरण" है।

इसका मतलब केवल "भौतिक प्रसव" है। इस तर्क का विरोध "रचनात्मक वितरण" के अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव के आधार पर किया जा सकता है। सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 6 (2) का लाभ देते समय मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जिन भौतिक तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए, वे अंतर-राज्य में माल की आवाजाही को समाप्त करने से संबंधित हैं।

लेन-देन। यदि गंतव्य पर माल के आने के बाद, प्रेषक स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अगले निर्देश तक माल को अपने गोदाम में रखने के लिए कहता है, तो वाहक

माल को परिवहनक के रूप में रखना बंद कर देता है, और कानून की नजर में, माल उतने ही प्रेषक के कब्जे में हैं जैसे कि उसके पास था

उन्हें अपने गोदाम में ले गए। स्थापित कानूनी अवधारणा के अनुसार घटनाओं का यह क्रम रचनात्मक वितरण के समान है।

माल वाहक द्वारा माल प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है और पारगमन समाप्त हो जाता है।

इसके बाद प्रेषक द्वारा बिक्री स्थानीय बिक्री होगी और धारा 6 (2) का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

परिवहनकर्ता, चाहे रेलवे हो या सड़क मार्ग, आम तौर पर दस दिनों के भीतर गंतव्य पर अपने माध्यम से परिवहन किए गए माल की डिलीवरी की शर्त लगाते हैं और माल प्राप्तकर्ता को माल के आगमन के बारे में ऐसी परिवहन एजेंसी से जांच करनी होती है। इन परिस्थितियों में, यदि वाहक माल को एक विस्तारित अवधि के लिए रखता है, तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि

प्रेषक को अपने माल के आगमन के बारे में पता था और प्रेषक अपनी ओर से माल को प्रेषक के लिए एक उपहार के रूप में रख रहा है। ये तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि एक स्थानीय है

उक्त धारा 6 (2) के तहत बिक्री और बिक्री नहीं। प्रेषक द्वारा मालवाहक को गोदाम किराया/अवमूल्यन शुल्क का भुगतान इस बात का निर्णायक प्रमाण है कि परिवहनकर्ताओं ने निम्नलिखित भूमिका निभाई है -

बेली और पारगमन समाप्त हो गया है। यह देखा जा सकता है कि जमानत या तो अनावश्यक हो सकती है या पारिश्रमिक के लिए या आंशिक रूप से दोनों हो सकती है। कानून में, अनुबंध के बिना भी जमानत हो सकती है। कानूनी स्थिति के अनुसार, माल प्राप्तकर्ता के लिए यह चुनने के लिए एक उचित समय बीतते ही 'पारगमन' समाप्त हो जाता है कि क्या वह माल को ले जाएगा या उन्हें परिवहनकर्ता के परिसर में छोड़ देगा, क्योंकि उचित समय के अंत में परिवहनकर्ताओं से परिवहनकर्ता को माल की एक रचनात्मक डिलीवरी मानी जाती है।

प्रेषक। यदि कोई व्यापारी दावा करता है कि उसने माल की डिलीवरी प्राप्त नहीं की थी, तो यह साबित करने का बोझ कि माल वास्तव में उसके आने की तारीख से लेकर उसकी मंजूरी की तारीख तक वाहक के पास ही रहा है, व्यापारी पर है। यदि व्यापारी इस प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि व्यापारी ने स्वयं वाहक से माल की भौतिक डिलीवरी ली थी और इस तरह धारा 6 (2), सी. एस. टी. अधिनियम के तहत छूट के अपने दावे को अस्वीकार कर दिया था।

अर्जुन दास गुप्ता और ब्रदर्स में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। वी. (1980) 45 एस. टी. सी. 52 में रिपोर्ट किए गए बिक्री कर, नई दिल्ली के आयुक्त ने छूट के संबंध में बुनियादी दिशानिर्देश दिए हैं।

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत बिक्री। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि सी. एस. टी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 (बी) के लिए स्पष्टीकरण I विक्रेता को निर्धारित समय से आगे माल की आवाजाही बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है।

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में माल की भौतिक लैंडिंग। जहाँ तक ज्ञान की बात है, इसके अलावा कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक वाणिज्यिक कर अधिकारी नहीं हैं।

एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे.]

या किसी अन्य उच्च न्यायालय से रिपोर्ट किए गए निर्णय के विपरीत। यह समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लंबित है।

इस मुद्दे पर अदालत लेकिन कोई रोक नहीं है। इस प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय इस क्षेत्र को धारण करता है।

इसलिए, मूल्यांकन अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में उन्हें केवल फॉर्म ई-आई/ई-II और सी फॉर्म प्रस्तुत करने पर सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत छूट का लाभ नहीं देना चाहिए। अगर चालू है

इसके विपरीत यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने भौतिक डिलीवरी ली थी या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित समय से अधिक माल ट्रांसपोर्टर के पास रह गया था, रचनात्मक डिलीवरी के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

एस. नं. 1132 एः सी. सी. टी. परिपत्र एफ. 11 (3) सी. एस. टी./कर/सी. सी. टी./61 दिनांक 15.04.1998

10 दिनों के भीतर गंतव्य पर उनके द्वारा परिवहन किए गए माल की डिलीवरी की शर्तें और माल प्राप्तकर्ता को माल के आगमन के बारे में ऐसी परिवहन एजेंसी से जांच करनी आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि एए को इस तथ्य का पता लगाना चाहिए कि क्या माल उचित समय से अधिक समय तक ट्रांसपोर्टर के पास बना रहा। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, रचनात्मक वितरण के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। व्यापार और उद्योग के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि लगभग सभी मामलों में एए गंतव्य पर माल के आगमन के दस दिनों के तुरंत बाद यांत्रिक तरीके से रचनात्मक वितरण के सिद्धांत का आह्वान कर रहे हैं। इन संघों के अनुसार, इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विक्रेताओं को कठिनाई हुई है और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ उन्हें टालने योग्य उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने इस सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

इन तथ्यात्मक पहलुओं और सरकारी स्तर पर चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद समय की तर्कसंगतता पर विचार किया जाना चाहिए और रचनात्मक वितरण के लिए सामान्य अवधि जो सुझाए गए दस दिनों के बजाय तीस दिनों तक भी हो सकती है, का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र में।

उपायुक्त (प्रशासन) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के राजस्व को सुनिश्चित करते हुए, विक्रेताओं को कोई परेशानी न हो।

के अंत का निर्धारण करते समय उत्साही मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा

पारगमन "।

6. उच्च न्यायालय ने गुलजाग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में दो फैसलों का उल्लेख किया है, जिनमें से एक राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं लिया गया है।

बनाम। राजस्थान राज्य और एक अन्य ने (2003) 129 एस. टी. सी. 3 (राज.) में और दूसरे ने अर्जन दास गुप्ता के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दी। और ब्रदर्स बनाम बिक्री कर आयुक्त, दिल्ली प्रशासन (1980) 45 एसटीसी 52 (दिल्ली)। बाद के फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 1956 के अधिनियम और बंगाल के कुछ प्रावधानों का अर्थ लगाया।

वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (जैसा कि यह उस समय दिल्ली पर लागू था)। 1956 के अधिनियम की धारा 3 (बी) में 'वितरण' अभिव्यक्ति का क्या निहितार्थ होगा, इस पहलू पर, अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 10 ..... आम तौर पर, जब माल एक वाहक द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, तो आयातक राज्य में माल के उतरने के तुरंत बाद आयातक द्वारा डिलीवरी ली जाती है। इस प्रकार, आम तौर पर, आयातक राज्य में माल की लैंडिंग और माल की डिलीवरी लगभग एक साथ होती है, हालांकि तकनीकी रूप से दोनों के बीच कुछ अंतराल होगा। इन वाणिज्यिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, खुदरा विक्रेता के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि माल की आवाजाही जारी रहती है, भले ही माल दिल्ली में उतरा हो, क्योंकि आयातक ने खरीद खुदरा विक्रेताओं को स्वामित्व के दस्तावेज हस्तांतरित कर दिए हैं और ऐसे खुदरा विक्रेता रेलवे से डिलीवरी लेते हैं। यदि डिलीवरी लेना किसी आयातक राज्य में माल के उतरने की नहीं, बल्कि आवाजाही की समाप्ति की परीक्षा है, तो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 (बी) के स्पष्टीकरण 1 से विसंगत परिणाम निकलेंगे। यदि दिल्ली में माल के उतरने के बाद, रेलवे रसीदें एक के बाद एक दस व्यक्तियों को दी जाती हैं और दसवें व्यक्ति द्वारा डिलीवरी ली जाती है, मान लीजिए कि तीन महीने के बाद, वाणिज्यिक कर अधिकारी की आवाजाही v.

एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे.]

दिल्ली में माल के उतरने के बाद व्यापारी की व्याख्या पर माल कृत्रिम रूप से तीन महीने तक जारी रहेगा।

7. अपील के तहत दिए गए फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस विचार से असहमति जताई, जिसमें उसने गुलजाग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) पर भरोसा किया, जिसमें तीन अपीलें थीं।

एक सामान्य निर्णय में निपटा गया। यह उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था

अपील के तहत दंडः

" 12. इसलिए, विद्वानों द्वारा कानून का प्रस्ताव

आयुक्त ने विवादित परिपत्रों में कहा कि "कानूनी स्थिति के अनुसार,

' पारगमन 'जैसे ही माल प्राप्तकर्ता के लिए यह चुनने के लिए एक उचित समय बीतता है कि क्या वह माल को ले जाएगा या उन्हें परिवहनकर्ता के परिसर में छोड़ देगा, क्योंकि उचित समय के समापन पर परिवहनकर्ता से माल प्राप्तकर्ता को माल की रचनात्मक डिलीवरी मानी जाती है', इसे सही कानूनी स्थिति नहीं कहा जा सकता है। बाद का परिपत्र दिनांकित

15.4.1998 कथित तौर पर विक्रेताओं के लिए स्थिति को सुधारने के लिए जारी किया गया

पिछले परिपत्र दिनांक 16.9.1997 द्वारा बनाया गया, रचनात्मक वितरण के एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिपादन करके पिछले परिपत्र द्वारा किए गए नुकसान को पूर्ववत किए बिना केवल 10 दिनों की समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। वास्तव में, सभी मूल्यांकन अधिकारियों पर कथित रूप से बाध्यकारी कानून की एक विशेष व्याख्या देते हुए विद्वान आयुक्त द्वारा इस तरह के परिपत्र जारी करने की शक्ति ही संदिग्ध है। आर. एस. टी. अधिनियम या सी. एस. टी. अधिनियम के तहत बिक्री कर अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रदत्त ऐसी शक्तियों के विरुद्ध आयुक्त को ऐसे परिपत्र जारी करने का अधिकार देना। यहां तक कि आयकर अधिनियम की धारा 119, जो अधिनियम के तहत सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय, अर्थात् सी. बी. डी. टी. को अपने परंतुक के माध्यम से प्रतिबंधित करती है और यह प्रावधान करती है कि ऐसा कोई आदेश, निर्देश या निर्देश जारी नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी आयकर प्राधिकरण को किसी विशेष तरीके से किसी विशेष मामले का निर्धारण या निपटान करने की आवश्यकता हो और ऐसे आदेश या निर्देश भी अपने अपीलीय कार्यों के प्रयोग में आयुक्त (अपील) के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए, यह न्यायालय बिक्री कर आयुक्त द्वारा ऐसे परिपत्र जारी करने को स्वीकार नहीं कर सकता है, जो मूल्यांकन अधिकारियों के अर्ध-न्यायिक विवेक के साथ अनुचित रूप से बाधा डालते हैं, जिनसे कानून में अपने निष्कर्ष [2020] 6 एस. सी. आर. देने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य और वैधानिक कानून की व्याख्या अपने स्वयं के अर्ध-न्यायिक विवेकाधिकार में कानून के अनुसार जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई है उच्चतम न्यायालय या अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय। जारी किए गए परिपत्र

आयुक्त द्वारा उपरोक्त तरीके से जैसा कि दिनांकित 16.9.1997 और 15.4.1998 परिपत्रों के माध्यम से किया गया है, बाधा डालने की संभावना है और

ऐसे अर्ध-न्यायिक विवेकाधिकार को समाप्त करें जो आकलन करने वाले अधिकारियों के पास निहित हो। इसलिए, द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्र

15.4.1998 (S. No. 1132A) और 16.9.1997 (S. No. 1115B) पर उपरोक्त आयुक्त गुलजाग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले (ऊपर) में इस अदालत के डिवीजन बेंच के फैसले के साथ टकराव में हैं और अन्यथा भी वे बिना किसी कानून के अधिकार के पाए जाते हैं। नतीजतन, ये दोनों परिपत्र अल्ट्रा वायर्स पाए जाते हैं।

और इसके द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि विद्वान आयुक्त के लिए 10 दिनों या 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करने का कोई आधार नहीं था और उसके बाद, मूल्यांकन प्राधिकरण से रचनात्मक वितरण की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत किए गए सामानों को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा की गई बाद की बिक्री पर सी. एस. टी. की छूट से इनकार किया जा सके, हालांकि अधिनियम की धारा 6 (2) की आवश्यक शर्तों को विक्रेता द्वारा पूरा किया जाता है और ऐसे परिपत्रों को पहले ही अधिकार से बाहर माना जा चुका है और रद्द कर दिया गया है और निर्धारिती को अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत छूट से इनकार करने को उचित ठहराने वाली किसी अन्य सामग्री के अभाव में, कर बोर्ड के विवादित आदेश की आवश्यकता नहीं है जो निर्धारिती को ऐसी छूट की अनुमति देता है।

राजस्व द्वारा दायर वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएँ।

8. हमें यहाँ यह जोड़ना होगा कि गुलजग (उपरोक्त) के मामले में निर्णय

बाद में इस न्यायालय के समक्ष अपील की गई। इस न्यायालय के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि इनमें से दो अपीलों का निपटारा 30 सितंबर, 2010 को किया गया था क्योंकि निर्धारिती ने वैधानिक मंच से संपर्क करने का विकल्प चुना था, जबकि एक अन्य अपील को अपील में शामिल कर की मात्रा को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था। 9. तदनुसार, हम 1956 के अधिनियम की धारा 3 और 6 के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त दो परिपत्रों की वैधता के प्रश्न सहित राजस्व के मामले का परीक्षण करेंगे। इस मामले में प्रत्यर्थी ने उप-धारा (2) का लाभ इस आधार पर लिया था कि यह अंतर-राज्यीय बिक्री से जुड़ा मामला था और बिक्री एक राज्य वाणिज्यिक कर अधिकारी से उनकी आवाजाही के दौरान ऐसी वस्तुओं के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से हुई थी।

एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे।]

किसी और के लिए। यह भी उत्तरदाताओं का मामला है कि ऐसी बिक्री से संबंधित आवश्यक प्रपत्र और प्रमाण पत्र विधिवत प्रस्तुत किए गए थे। राज्य की ओर से, गंतव्य बिंदु पर परिवहनकर्ताओं के गोदाम में माल को लंबे समय तक रखने के अलावा, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किसी अन्य गणना पर चूक का दावा नहीं किया गया है।

10. जिन दो अपीलों में प्रतिवादी बॉम्बे मशीनरी स्टोर है, उनमें बिक्री परिपत्रों के अस्तित्व में आने से पहले के वित्तीय वर्षों से संबंधित थी। बिक्री के इन उदाहरणों में, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने संबंधित आदेशों में 30 से अधिक माल के प्रतिधारण को माना

परिवहनकर्ताओं के गोदाम में कट-ऑफ अवधि के रूप में दिन। उस तारीख के बाद, यह माना गया कि निर्धारिती ने सकारात्मक कार्य किया है।

विषय बनाने वाले अधिकारी-यूनिकलर केमिकल्स कंपनी से जुड़ी दो अपीलों के मामले। कर बोर्ड ने राजस्व के पक्ष में निर्णय लेते समय, रचनात्मक वितरण की अवधारणा को बनाए रखने के लिए उपरोक्त दो परिपत्रों का उल्लेख किया। 11. उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, ट्रांसपोर्टर द्वारा माल को उसमें निर्धारित समय से अधिक समय तक बनाए रखने (बाद के परिपत्र के अनुसार 30 दिन होने) का अर्थ यह होगा कि माल की रचनात्मक डिलीवरी ट्रांसपोर्टर द्वारा माल प्राप्तकर्ता को की गई है। ऐसी स्थिति में माल की पारगमन स्थिति समाप्त हो जाएगी और डीमिंग

1956 के अधिनियम की धारा 3 के पहले स्पष्टीकरण में प्रावधान, जिसमें डिलीवरी के समय-बिंदु को आवाजाही की समाप्ति के रूप में माना गया है, काम करना बंद कर देगा।

12. अपीलों के इस समूह में हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि स्वामित्व के दस्तावेजों का हस्तांतरण माल के पहुंचने के बाद किया गया था।

गंतव्य राज्य के भीतर का स्थान। लेकिन जब माल को संचरण के लिए किसी वाहक को वितरित किया जाता है, तो 1956 के अधिनियम की धारा 3 का पहला स्पष्टीकरण निर्दिष्ट करता है कि माल की आवाजाही उस समय शुरू मानी जाएगी जब माल को वाहक को वितरित किया जाता है और उस समय समाप्त हो जाएगी जब डिलीवरी ली जाती है। उक्त प्रावधान किसी भी समय सीमा के साथ 'डिलीवरी' शब्द के योग्य नहीं है जिसके भीतर ऐसी डिलीवरी करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में हमारी राय में राज्य के कर प्रशासन के आदेश से समय सीमा तय करना अस्वीकार्य होगा।

13. उच्च न्यायालय के समक्ष, राजस्व अधिकारियों ने माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 51 (जिसे इसके बाद [2020] 6 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया है) पर भरोसा किया है।

अधिनियम ")। लेकिन उक्त प्रावधान भी राजस्व की सहायता या सहायता नहीं करता है। 1930 के अधिनियम के 51 में कहा गया हैः -

" 51. पारगमन की अवधि। — (1) माल को उस समय से पारगमन के क्रम में माना जाता है जब से उन्हें खरीदार को संचरण के उद्देश्य से किसी वाहक या अन्य बेली को वितरित किया जाता है, जब तक कि खरीदार या उसका एजेंट उस ओर से उन्हें इस तरह से वितरित नहीं करता है।

वाहक या अन्य बेली।

(2) यदि खरीदार या उसका प्रतिनिधि उस ओर से निर्धारित गंतव्य पर उनके आगमन से पहले माल की डिलीवरी प्राप्त करता है, तो पारगमन

अंत में है।

(3) यदि, निर्धारित गंतव्य पर माल के आगमन के बाद, वाहक या अन्य बेली खरीदार या उसके एजेंट को स्वीकार करता है कि वह अपनी ओर से माल रखता है और खरीदार या उसके एजेंट के लिए बेली के रूप में उन पर कब्जा करना जारी रखता है, पारगमन समाप्त हो गया है और यह मायने नहीं रखता है कि माल के लिए एक और गंतव्य हो सकता है

खरीदार द्वारा संकेत दिया गया है। (4) यदि माल खरीदार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और वाहक या अन्य बेली उनके कब्जे में बना रहता है, तो पारगमन समाप्त नहीं माना जाता है, भले ही विक्रेता ने उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया हो।

पीछे की ओर। (5) जब माल खरीदार द्वारा किराए पर लिए गए जहाज को दिया जाता है, तो यह एक सवाल होता है जो उस विशेष जहाज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

मामला, क्या वे वाहक के रूप में स्वामी के कब्जे में हैं

या खरीदार के एजेंट के रूप में।

(6) जहां वाहक या अन्य बेली गलत तरीके से खरीदार या उसके एजेंट को उस ओर से माल देने से इनकार करता है, तो पारगमन है

अंत में माना जाता है। (7) जहां उस ओर से खरीदार या उसके एजेंट को माल की आंशिक डिलीवरी की गई है, शेष माल को पारगमन में रोक दिया जा सकता है, जब तक कि ऐसी आंशिक डिलीवरी ऐसी परिस्थितियों में नहीं दी गई है जो पूरे माल का कब्जा छोड़ने के लिए एक समझौते को दर्शाती है।

14. उक्त प्रावधान के उपखंड (1) में निर्दिष्ट किया गया है कि माल कब पारगमन के क्रम में है और इसका उपखंड (3) निर्धारित करता है।

पारगमन की समाप्ति के लिए शर्तें। यह शर्त है कि

वाहक द्वारा खरीदार या उसके अभिकर्ता को देय राशि कि वह वाणिज्यिक कर अधिकारी रखता है।

एम/एस। बॉम्बे मशीनरी स्टोर [अनिरुद्ध बोस, जे.]

उसकी ओर से माल। यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इनमें स्वतंत्र ट्रांसपोर्टर द्वारा इस तरह की स्वीकृति दी गई थी।

अपीलें करें। ऐसी परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 15. अर्जन दास गुप्ता (ऊपर) सिद्धांत के मामले में रचनात्मक वितरण के समान व्याख्या की गई थी और हमने प्रासंगिक उद्धरण दिया है

इस निर्णय में पहले उस निर्णय से मार्ग। हालाँकि, हमारी राय में, इस तरह का निर्माण प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए उचित नहीं होगा। 1956 के अधिनियम की धारा 3। उस खंड के पहले स्पष्टीकरण में एक कानूनी कल्पना बनाई जाती है। वह कल्पना यह है कि माल की आवाजाही, एक से

जिस समय ऐसे वाहक से डिलीवरी ली जाती है, उस समय दूसरे राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां सामान को संचरण के लिए वाहक को वितरित किया गया है। रचनात्मक वितरण या तो एक्सप्रेस की कोई अवधारणा नहीं है।

या उक्त प्रावधान में निहित है। कानून के एक सादे पाठ पर, 1956 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए माल की आवाजाही केवल तभी समाप्त होगी जब डिलीवरी ली जाती है।

उस खंड के पहले स्पष्टीकरण के लिए। उक्त खंड के भीतर "वितरण" अभिव्यक्ति की प्रकृति और दायरे को योग्य बनाने के लिए किसी और शब्द को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। विधायिका उक्त शब्द को विस्तृत अर्थ देने से बच गई है। 2011 के सिविल अपील No.2217 में दिए गए फैसले के तहत उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि कानूनों पर कर लगाने में किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा विचार है कि अर्जन दास गुप्ता के मामले में दी गई दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ की व्याख्या कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करती है। यदि अधिकारियों को लगता है कि कोई भी निर्धारिती या विक्रेता 1956 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अनपेक्षित लाभ ले रहा है, तो उचित मार्ग विधायी संशोधन होगा। कर प्रशासन प्राधिकरण विधायी को अपनी व्याख्या नहीं दे सकते हैं।

व्यापार व्यवहार के बारे में उनकी अपनी धारणा के आधार पर प्रावधान। इस प्रशासनिक अभ्यास के परिणामस्वरूप, विधायी प्रावधानों को शब्दों की आपूर्ति होगी, जैसे कि विधायिका की चूक को दूर करने के लिए।

16. इन कारणों से, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं

इन चार अपीलों में उच्च न्यायालय के निर्णय। याचिकाएं खारिज की जाती हैं। किसी भी संबंधित आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे